



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230947  
CG-DL-E-03112021-230947

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4240]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943

No. 4240]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2021

**का.आ. 4602(अ).**—नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के सदस्य के रूप में नामित करती है, और उस उद्देश्य के लिए, अधिसूचना संख्या का.आ 3190(अ) दिनांक 03-09-2019 में निम्नलिखित संशोधन करता है, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, मद संख्या (ग) (i) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- (i) श्री आशुतोष अग्निहोत्री,  
संयुक्त सचिव (यूटी),  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

[फा. सं. 14011/20/2019—दिल्ली—II]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

**नोट :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 3190(अ), दिनांक 3 सितंबर, 2019 और बाद में संख्या द्वारा संशोधित का.आ. 3352(अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2019, का.आ. 715(अ) दिनांक 13-02-2020, का.आ. 1321(अ) दिनांक 21 अप्रैल, 2020, का.आ. 1602(अ) दिनांक 18.05.2020, का.आ. 2383(अ) दिनांक 16 जुलाई, 2020 और का.आ. 3505(अ) दिनांक 26 अगस्त, 2021।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th October, 2021

**S.O. 4602(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri Ashutosh Agnihotri, Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, Government of India as a member of the New Delhi Municipal Council (NDMC), and for that purpose, makes the following further amendment in the Notification number S.O. 3190(E) dated 03.09.2019 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the said notification, in paragraph 1, for Item No. (c) (i) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted namely:-

- “(i) Shri Ashutosh Agnihotri  
Joint Secretary(UT)  
Ministry of Home Affairs  
Government of India”

[F. No. 14011/20/2019-Delhi-II]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 3190(E), dated the 3<sup>rd</sup> September, 2019 and subsequently amended vide No. S.O. 3352(E) dated the 17<sup>th</sup> September, 2019, S.O. 715(E) dated 13.02.2020, S.O. 1321 (E) dated 21.04.2020, S.O. 1602(E) dated 18.05.2020, S.O. 2383(E) dated 16<sup>th</sup> July, 2020 and S.O. 3505(E) dated 26.08.2021.